

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 126/2013 सत्रवाद

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मालनपुर  
जिला भिण्ड म०प्र०। .....अभियोजन

बनाम

श्रीमती सुखमीरी पत्नी मोहनसिंह जाट उम्र 45  
वर्ष निवासी ग्राम खुमानपुरा थाना मालनपुर  
जिला भिण्ड म.प्र.।.....अभियुक्त

---

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री एस०के०तिवारी  
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क० 252/2013 इ०फौ०  
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र० 126/2013

---

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्तगण द्वारा श्री ए०के०राणा अधिवक्ता।

---

//नि र्ण य//  
//आज दिनांक को घोषित किया गया//

01. अभियुक्त का विचारण धारा 304बी, बिकल्प में धारा 302 एवं 498ए भा०दं०वि० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 28.06.2012 से दिनांक 10.01.2013 के मध्य ग्राम खुमानपुरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड में मृतिका पूनम की सास होते हुए दहेज की माँग को लेकर उसे प्रताड़ित कर क्रूरता का व्यवहार किया। बैकल्पिक रूप से यह भी आरोप है कि दिनांक 10.01.2013 या उसके करीब ग्राम खुमानपुरा में मृतिका पूनम की साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की। आरोपिया पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त अवधि के दौरान मृतिका पूनम के पति और पति के नातेदार होते हुए दहेज के रूप में मूल्यवान सम्पत्ति की माँग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा उस पर यह भी आरोप है कि मृतिका पूनम और उसके पिता तथा परिवार वालों को दहेज देने के लिए दुषे्रित किया।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि पुलिस थाना मालनपुर भिण्ड में आरोपी संदीप के द्वारा इस आशय की सूचना दी गई कि वह अपनी जाकेट लेने के लिए कमरे में आया तो उसने देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है और कुंदी लगी हुई थी, उसने स्टूल रखकर जाली से अंदर झाँककर देखा तो उसकी पत्नी छत के कुंदे पर रस्सी से फाँसी लगाकर लटकी हुई थी। उसने अपने पिता व अन्य लोगों की मदद से अपनी पत्नी को फाँसी के फंदे से उतारा, उस समय उसकी मामूली साँस चल रही थी। उसे बिरला अस्पताल ग्वालियर ले जाया गया जहाँ डॉक्टर ने चेक कर उसे मृत होना बताया। उक्त सूचना पर थाना मालनपुर में धारा 174 दं.प्र.सं. के तहत मर्ग कायम किया गया। मृतिका जो कि नव विवाहिता थी और विवाह के सात वर्ष के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु होने के कारण कार्यपालन दण्डाधिकारी के द्वारा मौके पर पहुँचकर शव का नक्शा पंचनामा तैयार किया गया और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मर्ग की जाँच अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गोहद के द्वारा की गई। जाँच के दौरान यह पाया गया कि पूनम की शादी दिनांक 28.06.12 को आरोपी संदीप के साथ सम्पन्न हुई थी। शादी के समय करीब 80,000/- (अस्सी हजार रूपए) रूपए नगद व अन्य सामान दहेज में दिया गया था। शादी के समय ही लडकी को बिदा कर दिया गया था। लडकी पूनम जब ससुराल से लायका आई तो उसके द्वारा यह बताया गया कि ससुराल में उसके पति, सास, ससुर दहेज में मोटरसाइकिल और एक लाख रूपए, दो तौला सोने की चैन की मांग कर उसे परेशान करते हैं। उसके पिता व अन्य लोग क्वार के महीने में जब लडकी के बीमार होने की खबर मिलने पर उसे देखने हेतु गए थे तो इस दौरान भी मृतिका ने अपने माता-पिता और भाई को उक्त बात बात बताई थी। इसके उपरांत कार्तिक की पूर्णिमा के समय जब मृतिका अपने जन्मदिन के अवसर पर आई थी तो उस समय भी उसने उसे परेशान करने वाली बात बताई थी। मर्ग की जाँच के दौरान घटना स्थल से प्लास्टिक की रस्सी, एक रजिस्टर लाइनदार तथा पेंसिल की जप्ती की गई। जाँच उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 17 लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना आगे की गई थी। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अपराध पाए जाने से अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. आरोपिया के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 304बी विकल्प में धारा 302, 498ए भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपिया ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपिया ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए उसे झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

05. आरोपिया के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 28.06.2012 से दिनांक 12.01.2013 के मध्य ग्राम खुमान का पुरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड में मृतिका पूनम की मृत्यु हुई?
2. क्या मृतिका की मृत्यु मानवबध की कोटि का है?
3. क्या आरोपिया के द्वारा शासय या जानबूझकर पूनम की मृत्यु कारित कर उसकी हत्या कारित की?
4. क्या आरोपिया जो कि मृतिका पूनम की सास होकर पति की नातेदार है उसे दहेज की माँग को लेकर इस संबंध में कूरता का व्यवहार किया जिससे कि विवाह के सात वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा उसकी मृत्यु होकर दहेज मृत्यु कारित की?
5. क्या आरोपिया दिनांक 28.06.2012 से 10.01.2013 के मध्य पूनम की सास होते हुए दहेज की माँग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया?
6. क्या आरोपिया के द्वारा मृतिका पूनम के पति व परिवार वालों से दहेज देने के लिए इस संबंध में उसे दुष्प्रेरित किया?

**-: सकारण निष्कर्ष:-**

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 6 :-

06. साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. डॉक्टर धीरज गुप्ता अ0सा0 5 के अनुसार दिनांक 11.01.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान उन्होंने मृतिका पूनम के शव का शव परीक्षण किया था। शव परीक्षण के दौरान उसके शरीर में अकडन पाई गई थी। वह काली साड़ी व काला ब्लाउज पहने हुए थी और बाएँ हाथ में एक कडा व दो पीली चूड़ियाँ थी और सीधे हाथ में भी एक कडा और दो पीली चूड़ियाँ थी। पेर में बिडिया व

विछिया थी, उसके नाक के बाएं नथुने में खून आ रहा था, चेहरा सूखा हुआ तथा नीला था। रस्सी का निशान उसके पूरी गर्दन पर था, रस्सी की गठान सीधे साइट में थी, मृतिका का यूटरश खाली था। वाह्य परीक्षण— मृतिका सामान्य कद काठी की महिला थी। उसके सिर व रीड की हड्डी में कोई चोट के निशान नहीं थे, उसका टीकिया कंजस्टेड था तथा उसमें सूजन थी, पेट में पचा हुआ खाना था। अभिमत में उनके द्वारा बताया गया है कि मृतिका की मृत्यु एक्सपीसिया जो कि फांसी लगाने के कारण हुई थी। मृतिका की मृत्यु का समय परीक्षण के 6 से 24 घण्टे के अंदर की थी। रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

08. मृतिका पूनम की मृत्यु हो जाना साक्षी कल्यान सिंह अ0सा0 1, ममता अ0सा0 2 एवं बंटी अ0सा0 3 के द्वारा भी बताया गया है। मृतिका मृत्यु का थाना मालनपुर में मार्ग दर्ज किया गया है जो कि मार्ग की जाँच पर सफीना फार्म प्र0पी0 1 जारी किया जाना और लाश पंचायतनामा प्र.पी. 2 बनाया जाना साक्षी कल्यानसिंह अ0सा0 1, ममता अ0सा0 2 एवं बंटी अ0सा0 3 द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है। इस प्रकार मृतिका पूनम की मृत्यु हो जाना प्रमाणित हैं।

09. मृतिका पूनम की मृत्यु की प्रकृति का जहाँ तक प्रश्न है। मृतिका पूनम की मृत्यु की प्रकृति के संबंध में चिकित्सक डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा0 5 के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मृतिका की मृत्यु सुसाइट (आत्महत्या) के प्रकार की है एवं मृतिका के गले में फांसी के फंदे का निशान होना उनके द्वारा बताया गया है। प्रकरण में लाश पंचायतनामा प्र.पी. 2 में भी जो कि साक्षी कल्यानसिंह अ0सा0 1, ममता अ0सा0 2 एवं बंटी अ0सा0 3 के द्वारा प्रमाणित किया गया है उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि मृतिका के गले में फांसी के फंदे का निशान था। मृतिका के शरीर में अन्य कोई भी चोट मौजूद होना चिकित्सक रिपोर्ट में नहीं पाई गई है, जैसा कि चिकित्सक डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा0 5 के कथन से स्पष्ट है। पूनम की हत्या कर उसे बाद में फांसी लगाई गई हो ऐसा भी कोई अभियोजन का साक्ष्य नहीं है और इस आशय का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि पूनम को किसी प्रकार की कोई मारपीट की गई हो जिसके कारण उसकी मृत्यु कारित हुई है।

10. उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे कि यह माना जा सके कि मृतिका पूनम की हत्या की गई हो। मृतिका पूनम की मृत्यु सदोश मानव बध की कोटि की होना भी नहीं माना जा सकता है। ऐसी दशा में मृतिका की साशय या जान-बूझकर हत्या आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा की जानी के संबंध में अभियोजन प्रकरण प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

11. यद्यपि मृतिका पूनम की मृत्यु सदोश मानव बध की कोटि में होने का तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है। मृतिका पूनम की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई हो अथवा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी बीमारी या अन्य कारण से हुई हो ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है, बल्कि पूनम की मृत्यु गले में फांसी लगाने के कारण हुई है जो कि उसकी स्वभाविक मृत्यु होनी नहीं कही जा सकती। इस प्रकार पूनक की मृत्यु अस्वभाविक परिस्थितियों में होनी पाई जाती है।

12. मृतिका पूनम का विवाह सहआरोपी संदीप के साथ उसकी मृत्यु के करीब दो साल पूर्व होना साक्षी कल्यानसिंह अ0सा0 1, ममता अ0सा0 2 एवं बंटी अ0सा0 3 के कथनों में आया है। मृतिका पूनम के विवाह के संबंध में विवाह का कार्ड जप्त किया गया है जो कि जप्ती पत्रक प्र.पी. 4 विवेचना अधिकारी अमरनाथ वर्मा अ0सा0 6 के द्वारा जप्त किया गया है। उक्त कार्ड के अनुसार भी दिनांक 28.06.12 को मृतिका पूनम का विवाह संदीप के साथ सम्पन्न होना स्पष्ट होता है। वर्तमान आरोपिया सहआरोपी संदीप की माँ है। मृतिका पूनम की मृत्यु दिनांक 10.01.13 को हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में मृतिका पूनम की मृत्यु विवाह के एक वर्ष के अंदर हुई है जो कि फांसी लगाने के कारण मृत्यु होना स्पष्ट है। इस प्रकार विवाह के सात वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा मृतिका पूनम की मृत्यु हो जाने का तथ्य प्रमाणित है। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या आरोपिया जो कि मृतिका की सास है उसके द्वारा मृतिका को दहेज की माँग को लेकर मृत्यु के ठीक पूर्व कूरता का व्यवहार कर परिपीडित किया गया?

13. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी कल्यानसिंह अ0सा0 1 जो कि मृतिका पूनम का पिता है, ममता अ0सा0 2 जो कि पूनम की माँ है तथा बंटी अ0सा0 3 जो कि पूनम का चाचा है। उक्त साक्षीगण के कथनों में कहीं भी वर्तमान विचारित किए जा रहे आरोपिया के द्वारा मृतिका पूनम या उनसे दहेज की माँग किए जाने एवं दहेज की माँग को लेकर उसे किसी प्रकार से प्रताडित किए जाने के संबंध में कोई भी साक्ष्य विद्यमान नहीं है। उक्त साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु सूचक प्रश्नों के दौरान भी उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण का समर्थन या पुष्टि करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। इस प्रकार उक्त अभियोजन साक्षियों के कथनों के आधार पर मृत्यु के पूर्व मृतिका पूनम से कोई दहेज की माँग या उसे प्रताडित किया जाना जो कि उसकी मृत्यु का कारण बना हो प्रमाणित नहीं होता है। उक्त अभियोजन साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु सूचक प्रकार के प्रश्नों के दौरान उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन एवं पुष्टि करने वाले कोई

भी तथ्य नहीं आया है। इस प्रकार घटना के संबंध में उपरोक्त अभियोजन साक्षी जो कि महत्वपूर्ण साक्षी है उनके कथनों के आधार पर वर्तमान विचारित की जा रही आरोपिया के घटना में संलग्न होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

14. अभियोजन के द्वारा अपने तर्क में व्यक्त किया गया है कि घटना स्थल से प्लास्टिक की रस्सी, रजिस्टर और पेंसिल जप्त की गई है और रजिस्टर में इस बात का उल्लेख है कि आरोपी उसे प्रताड़ित कर रहे थे जो कि उसे प्रताड़ित किये जाने का साक्ष्य है। इस संबंध में विवेचना अधिकारी अमरनाथ वर्मा अ0सा0 6 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि उन्होंने विवेचना के दौरान प्लास्टिक की एक सफेद रस्सी और एक लाइनदार रजिस्टर एक डॉट पेंसिल घटना स्थल से जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 4ए बनाया था जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त मृतिका पूनम के स्कूल से प्राप्त वार्षिक परीक्षा वर्ष 2003 की उत्तर-पुस्तिका के चार पेज जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 9 तैयार करना भी बताया गया है।

15. उपरोक्त जप्ती का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त जप्तशुदा रजिस्टर में कहीं भी यह नहीं आया है कि मृतिका से दहेज की कोई मांग की गई हो व दहेज की माँग को लेकर आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया हो। रजिस्टर में केवल इस बात का उल्लेख है कि “और किसी लड़की की जिंदगी खराब न करना, हम जानते हैं कि हम मर जाएंगे आपकी आँखों से एक आँशू नहीं निकलेगा” उल्लेख आया है। किन्तु उक्त लिखाबट मृतिका पूनम की है, इस आशय का कोई भी प्रमाण नहीं है और न ही राइटिंग का परीक्षण हेण्डराइटिंग विशेषज्ञ से कराया गया है। मृतिका पूनम के स्कूल की उत्तर-पुस्तिकाओं के कुछ पेज जो कि उसकी हस्तलिपि में लिखे होना बताये जा रहे हैं जप्त किया गया है, किन्तु मात्र उक्त पेजों की लिखाबट के आधार पर रजिस्टर की हेण्डराइटिंग मृतिका पूनम की ही है ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि मृतिका पूनम के द्वारा ही उक्त रजिस्टर में उक्त बातें लिखी गई हैं तब भी उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि मृतिका को दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था अथवा मृतिका या उसके परिजनों से कोई दहेज की माँग की गई थी।

16. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन के द्वारा पेश किया गया मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि मृत्यु के ठीक पूर्व वर्तमान विचारित किया जा रही आरोपिया के द्वारा मृतिका पूनम को दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता की गई हो।

17. मृतिका पूनम को विवाह के उपरांत दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित किया जाना और जिस कारण उसके द्वारा आत्महत्या की गई हो, इस आशय का भी कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षी कल्यानसिंह अ०सा० 1, ममता अ०सा० 2 एवं बंटी अ०सा० 3 के साक्ष्य कथन में कहीं भी यह तथ्य नहीं आया है कि वर्तमान विचारित किए जा रहे आरोपिया के द्वारा मृतिका पूनम अथवा उसके माता-पिता से किसी प्रकार की कोई दहेज की माँग की गई हो और इस कारण उसे प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता की गई हो। इस प्रकार मृतिका पूनम को दहेज की माँग को लेकर वर्तमान आरोपिया के द्वारा प्रताड़ित किया जाना अथवा मृतिका या उसके परिवार वालों से दहेज की माँग करने के संबंध में भी अभियोजन प्रकरण प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

18. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में हुई समग्र अभियोजन साक्ष्य पर विचार किये जाने के उपरांत वर्तमान में विचारित की जा रही आरोपिया सुखमीरी के विरुद्ध अभियोजन का प्रकरण प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। अभियोजन प्रकरण को प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपिया सुखमीरी पत्नी मोहनसिंह को धारा 304बी विकल्प में 302 एवं 498ए भा०दं०वि० तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी से दोषमुक्त किया जाता है।

19. प्रकरण में जप्तशुदा रजिस्टर एवं कॉपी के पन्नों, प्लास्टिक की रस्सी एवं पेंसिल अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड